पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर झोथड़ा

अनुयान चानण राम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 83 / 2025

निर्णय दिनांक 26/06/2025

चानण राम पुत्र मोहन लाल जाति धाणक निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू

वादी / प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी / अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 52 खसरा सं. 1066 / 622 तादादी 3.6165 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमावंदी रोही मौजा झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर में भूलवश टाईप गलती से वर्तमान राजस्व जमावंदी में प्रार्थी का नाम च्यानण पुत्र मोहनलाल दर्ज हो गया, जो गलत है। जिसका पता प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में से जमावंदी निकलवाने पर हुआ। जबकि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में सही नाम चानण राम पुत्र मोहन लाल है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 52 खसरा सं. 1066 / 622 तादादी 3.6165 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम चानण राम पुत्र मोहन लाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाडा शिविर ग्राम पंचायत झोथड़ा में पत्रावली पेशी में ली गई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम चानण राम पुत्र मोहन लाल व च्यानण पुत्र मोहनलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम चानण राम पुत्र मोहन लाल पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम चानण राम पुत्र मोहन लाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम च्यानण पुत्र मोहनलाल अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 52 खसरा सं. 1066 / 622 तादादी 3.6165 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम च्यानण पुत्र मोहनलाल Delete कर इसके स्थान पर चानण राम पुत्र मोहन लाल अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....26/06/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)